

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270255
SG-DL-E-18022026-270255असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 467
No. 52]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947	[N. C. T. D. No. 467

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

फा. सं. 2/1/88/गृह पुलिस-II/पार्ट फाइल-I/88-91.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है;

अब, इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि पुलिस आयुक्त, दिल्ली, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिनांक 19/01/2026 से दिनांक 18/04/2026 की अवधि के दौरान रोधक प्राधिकारी की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नितिन पाणिग्राही, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th February, 2026

F. No. 2/1/88/HP-II/Pt.-I/ 88-91.— Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/01/2026 to 18/04/2026** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
NITIN PANIGRAHI, Dy. Secy. (Home)